जिस्ट्री सं० डी (डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1975/आश्विन 5, 1897

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1975/ASVINA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 2429.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 22 मार्च, 1975 में पृष्ठ 913 पर प्रकाशित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार) की अधिसूचना सा० का० नि० 371 तारीख 17 मार्च, 1975 के हिन्दी पाठ में :—

(1) तीसरी पंक्ति में 'गृह मंत्रालय' के पश्चात् 'कोष्ठक' रखें;

(2) नियम 1 में खण्ड (2) के अंत में 'होंगी' शब्द के स्थान पर 'होंगे' शब्द पढ़ें;

(3) अन्तिम पंक्ति में 'अवर सचि' के स्थान पर 'अवर सचिव' पढ़ें।

[संख्या ए० 12018/3/75-प्रशासन]

टी०आर० आहूजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 2430.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियम, 1961 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियम, 1961 में (i) नियम 1 के उप-नियम (i) में "राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" शब्दों के स्थान पर "लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) अनुसूची में क्रम संख्या 15 के सामने "भाषा अनुदेशक", के पद से संबंधित कालम 7 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए; अर्थात् :—

77 GI/75—1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1975

सा०का०नि० 2449. संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ : (क) इन नियमों को आकाशवाणी, सिविल इंजीनियरिंग/आरकीटैक्चरल (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : पदों की संख्या तथा उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 3, 4 और 5 में दिए अनुसार होंगे।

4. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों को भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इन से संबन्धित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 6 से 14 तक में दिये अनुसार होंगे।

5. अर्हताएं :-

(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने, जीवित पत्नी पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो,

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा किये जाने के अन्य कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

6. छूट देने का अधिकार : जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबन्धित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. अपवाद : इन नियमों की किसी बात का, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से संबन्धित व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्रम सं० पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिए आयु	सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1 2	3	4	5	6	7	8
1. जूनियर इंजीनियर (अनुभागीय अधिकारी)	138	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित)	425-15-500-द०रो० 15-560-20-700 रुपये	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष (परन्तु 31-12-73 तक की अवधि के लिए, उपरि-आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकेगी)	केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

क्या सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी ?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती पद्धति-सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है।
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी करने की शर्त के रूप में, व्यक्तियों को ऐसी विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी जो विभाग द्वारा निर्धारित की जाए ऐसा न करने पर उनको अगली वेतन-वृद्धि लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति अन्य केन्द्रीय या राज्य सरकारों के कार्यालयों से जूनियर इंजीनियर। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ड्राफ्टसमैन ग्रेड-1 (आरकीटैक्चरल)	30	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी, अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित)	पूर्व संशोधित वेतनमान 180-10-290-द० रो०-15-380 रुपये (बाद का वेतन आयोग का स्केल विचाराधीन है)	अप्रवरण	18—28 वर्ष	आरकीटैक्चर (मान्यताप्राप्त कोर्स) में इन्टरमीडिएट ।
3	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड—1 (सिविल/इलैक्ट्रिकल)	5	—तदैव—	425-15-500-द०-रो०-15-560-20-700 रुपये	अप्रवरण	18-28 वर्ष	6 महीने के व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी संस्थान से नक्शानवीसी (सिविल)/(इलैक्टिकल)/(मकै-निकल) में डिप्लोमा जो 2 वर्ष से कम अवधि का न हो ।
4	ड्राफ्टसमैन ग्रेड-2 (आरकीटैक्चरल)	22	—तदैव—	330-10-380-द० रो-12-500-द०रो० 15-560 रुपये	लागू नहीं होता	18-28 वर्ष	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से आरकीटैक्चर में तीन वर्षीय पूर्णकालिक पाठ्यक्रम अथवा 4 वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम अथवा आरकीटैक्चर में इंटरमीडिएट ।
5	ड्राफ्टसमैन ग्रेड-2 (सिविल/इलैक्ट्रिकल)	7	—तदैव—	330-10-380-द० रो-12-500-द०रो० 15-560 रुपये	अप्रवरण	18-25 वर्ष	6 महीने के व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से नक्शानवीसी (सिविल या इलै-क्ट्रिकल या मकैनिकल) में प्रमाण-पत्र जो 2 वर्ष से कम अवधि का न हो ।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा ।	पदोन्नति उन ड्राफ्टसमैन ग्रेड-2 (आरकीटैक्चरल) से जिनको उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा हो गई हो । प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के कार्या-लयों में उसी या समान ग्रेड में काम करने वाले वे व्यक्ति जो कालम 8 में निर्धारित अर्हताएं रखते हों (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य-तया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	तृतीय श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता
नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति उन ड्राफ्टसमैन ग्रेड-2 (सिविल या इलैक्ट्रिकल) से जिनको उस ग्रेड में कम से कम 6 वर्ष की सेवा हो ।	तृतीय श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता
नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न हो सकने पर स्थानान्-तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकारों के कार्यालयों में उसी अथवा समान पदों पर काम करने वाले वे व्यक्ति जो कालम 8 में निर्धारित अर्हताएं रखते हों (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य-तया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति से ड्राफ्टसमैन ग्रेड-3 या ट्रेसर जिनकी उस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो ।	तृतीय श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	ग्राफ्ट्समैन ग्रेड-3 ट्रैसर	2 31	--तदैव--	260-8-300-द॰रो॰ 8-340-10-380-द॰रो॰-10-430 रुपये	आवश्यक	18-25 वर्ष	--तदैव--
7.	फैरो-प्रिंटर	6	--तदैव--	225-5-260-6-290-द॰रो॰-6-308 रु॰	लागू नहीं होता	18-28 वर्ष	(1) मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यता, (2) फैरो-फैम, फैरो-प्रिंटिंग और ड्राईंग मशीनों के कार्यकरण की पूरी जानकारी, (3) सेंसीटाइजिंग पेपर के लिए केमीकल सोलुशन तैयार करने और अमोनिया गैस प्रिंटें डैवलप करने की योग्यता, (4) फैरो-मशीन चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति उन फैरो-प्रिंटरों से, जिनकी उस ग्रेड मे 5 वर्ष की सेवा हो। इनको विभागीय परीक्षा भी पास करनी होगी।	तृतीय श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता
नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा॰ स॰ 301/20/72-बी॰(डी)]

राम किशोर गुप्त, अवर सचिव

Ministry of Information and Broadcasting
New Delhi, the 22nd August, 1975.

G.S.R. 2449—: In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules namely:-

1. Short Title and Commencement:—These rules may be called the All India Radio, Civil Engineering/Architectural (Class-III posts) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay:—The number of posts and their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment age limit and qualifications etc.:—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications—(1) No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts;

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection posts	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Junior Engineer (Sectional Officer)	138	General Central Service, Class III Non-Ministerial (Non-Gazetted)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Not applicable	18-25 years (provided that for the period upto 31-12-75, the upper age limit shall be relaxable by 5 years)	Diploma in Civil or Electric el Engineering from an Institute recognised by the Central Government.
2.	Draftsman Grade-I (Architectural)	20	General Central Service, Class-III Non-Ministerial (Non-Gazetted).	Pre-Revised scale Rs. 180-10-290-EB-15-380. (Post Pay Commission scale under Revision).	Non-Selection.	18-28 years	Intermediate in Architecture (Recognised Course).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promoties	Period of probation if any	Method of recruitments whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion or deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years. As a condition of satisfactory completion of the period of the probation, the persons will have to qualify such Departmental test as may be prescribed by the Department failing which they will not be allowed to draw the next increment.	100 % by Direct Recruitment failing which by deputation	Deputation : Junior Engineers from other Central or State Government Offices. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	Not applicable
No.	Two years.	50% by direct recruitment and 50% by promotion, failing which by deputation.	Promotion : From Draftsman Grade-II (Architectural) who have rendered six years of service in the grade. Deputation : Persons working in similar or equivalent grade from Central or State Government Offices who possess the qualifications prescribed in Coloumn 8 (Period of deputation ordinarily not exceeding three years.)	Class III D.P.C.	Not Applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Draftsman Grade-I (Civil/ Electrical).	5	General Central Service Class-III Non-Ministerial (Non-Gazetted)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-Selection.	18-28 years	Diploma in Draftsmanship (Civil/ Electrical/(Mechanical) from an institute recognised by the Central Government of not less than 2 years duration including practical training of 6 months.
4.	Draftsman Grade-II (Architectural)	22	General Central Service Class-III Non-Ministerial (Non-Gazetted)	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not-applicable	18-28 years	Three years full time course or four years part time course in Architecture from any institute recognised by the All India Council for Technical Education or Intermediate in Architecture.
5.	Draftsman Grade-II (Civil/ Electrical)	7	General Central Service Class-III Non-Ministerial (Non-Gazetted)	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Non-selection	18-25 years	Certificate in Draftsmanship (Civil or Electrical or Mechanical) from a recognised institution of not less than 2 years duration including practical training of 6 months.
6.	Draftsman Grade-III Tracer	2 31	General Central Service Class-III Non-Ministerial (Non-Gazetted)	Rs. 260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430.	Non-selection	18-25 years	Certificate in Draftsmanship (Civil or Electrical or Mechanical) from a recognised institution of not less than 2 years duration including practical training of 6 months.
7.	Ferro-printer	0	General Central Service Class-III Non-Ministerial (Non-Gazetted)	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308.	Not-Applicable	18-28 years	(i) Matriculate or equivalent qualification (ii) Thorough knowledge of working of Ferror frames ferro-printing and drawing machines. (iii) Ability to prepare chemical solution for sensitising paper and develop ammonia gas prints, (iv) At least two years experience of operating ferro-machines.

9	10	11	12	13	14
No.	2 years	100% by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion From Draftsman Grade-II (Civil or Electrical having not less than 6 years. service in that grade.	Class-III Departmental Promotion Committee.	Not Applicable
No.	2 years	100% Direct Recruitment failing which by transfer or deputation.	Deputation : Persons holding similar or equivalent posts in Central or State Government Offices who possess qualifications prescribed in coloumn 8 (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable.	Not applicable.
No.	2 years	100% by promotion failing which by direct re-recruitment.	Promotion : From Draftsman Grade-III or Tracer with 3 years service in that grade.	Class-III Departmental Promomotion Committee.	Not applicable.
No.	2 years	100% by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : From Ferro-printers with 5 years service in the grade subject to passing a departmental test.	Class-III Departmental Protion Committee.	Not Applicable.
No.	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

[No. 301/20/72-B (D)]

R. K. GUPTA, Under Secy.